P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-12* (Part-1) March- 2019
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

लैंगिक समानता और सतत् विकास

दीप्ती माहेश्वरी
व्याख्याता,
गृह विज्ञान विभाग,
श्री वर्द्धमान कन्या
महाविद्यालय,
ब्यावर, राजस्थान
भारत

नमिता जालान
व्याख्याता,
वाणिज्य विभाग,
श्री वर्द्धमान कन्या
महाविद्यालय,महर्षि दयानन्द
सरस्वती विश्वविद्यालय,
अजमेर, राजस्थान

सारांश

सतत् विकास का अभिप्राय है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना पूरा करना। इसके लिए लोगों के जीवन की गुणवता में सुधार किया जाए जिसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण में उपलब्ध साधनों की गुणवता में सुधार हों।

लैंगिक समानता से अभिप्राय है कि स्त्री एवं पुरूषों की हर क्षेत्र में बराबर की भागीदारी हो। लैंगिक समानता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी संसाधनों, निर्णय प्रक्रिया एवं कार्यो को स्त्री एवं पुरूषों में बिना किसी प्रकार का भेदभाव किए दिए जाए एवं उसका लाभ दोंनो को एक समान रूप से मिलें।

हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए हर तरह से सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक स्तर पर समानता दी गई हैं। महिलाओं को पुरूषों के समान चुनाव अधिकार प्रदान किए गए है। अनुच्छेद 15 में किसी भी प्रकार का भेदभाव जो कि लिंग, जाति, धर्म, नस्ल, रंग एंव जन्म स्थान के आधार पर हों अमान्य एवं निषेध है।

महिलाओं और बालिकाओं के शिक्षा एवं आत्मनिर्भरता के लिए सरकार द्वारा निम्न योजनाएँ शुरू की गई हैं :–

1. बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ
2. वर्किंग वुमन हॉस्टल योजना
3. महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (Step)
4. महिला ई हाट योजना
5. स्वाधार गृह योजना
6. महिला शक्ति केन्द्र योजना

मुख्य शब्द : लैंगिक समानता सतत् विकास ,महिला सशक्तिकरण, योजनाऐं।

प्रस्तावना

सतत् विकास लक्ष्य के 17 लक्ष्यों में से लैंगिक समानता एक लक्ष्य है। लैंगिक समानता ना सिर्फ एक मानवाधिकार है बल्कि सम्पूर्ण विश्व के षान्ति एवं विकास के लिए जरूरी है। लैंगिक समानता एक आवश्यकता ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व में सभी महिलाओं का अधिकार है क्योंकि कोई भी समाज तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक उस समाज में रहने वाले स्त्री एवं पुरूष के मध्य असमानता होती है।

सम्पूर्ण विश्व में स्त्रियों को पुरूषों की तुलना में कम अधिकार दिए गए हैं। कार्य स्थल पर स्त्रियों को पुरूषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। घरेलू कार्य करने पर वेतन में असमानता देखी गई हैं। खेलों के क्षेत्र में स्त्रियों को पुरूषों की तुलना में कम अवसर प्रदान किए जाते हैं।

भारत में सिर्फ 59.3% महिलाएँ ही साक्षर है जबकि पुरूषों में साक्षरता 78.8 % है। प्राथमिक शिक्षा में छात्राओं का नामांकन 100 % है मगर 75.5% महिलाएं लोकसभा में उच्च शिक्षा में नामांकित है महिलाओं को लोकसभा में 11 % तक सीट है लेकिन पंचायती राज मे महिलाओं को46 % तक सीट दी गई है।

नई दिल्ली में किए गए सर्वे के अनुसार अनुमानतः 92% महिलाएँ अपने जीवन काल में एक बार लैगिंक हिंसा का शिकार होती हैं। 2016 के सर्वे के अनुसार ज्यादातर अपराध जो रिर्पोट किए गए है उसमें शारीरिक उत्पीड़न पति या किसी रिश्तेदार द्वारा किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के सर्वे के अनुसार 15–49 वर्ष की उम्र में महिलाओ। के साथ शारीरिक एवं लैंगिंक हिंसा के ज्यादातर मामले है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. समाज में व्याप्त स्त्री एवं पुरूषों के मध्य भेदभाव को दूर करना।

2. समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना ताकि वो राजनीति, आर्थिक, सामाजिक जीवन में निर्णय ले सके।
3. महिला सशक्तिकरण को लैंगिक समानता लाकर बढ़ावा देना।
4. सम्पूर्ण विश्व में महिलाओं के प्रति कुरीतियों को दूर करना।

महिलाओं का विकास ना होने के एक कारण यह है कि वे आत्मनिर्भर नहीं हैं। उनके पास आय अर्जित करने के कोई साधन नहीं है इसका मुख्य कारण है शिक्षा का अभाव। महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकारी ही नहीं हैं। लैंगिंक असमानता हमारी संस्कृति, राजनीति, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में समान रूप से पाई जाती है। लैंगिंक समानता का अभिप्राय महिलाओं एवं पुरूषों को समान स्तर एवं मूल्य देना हैं। किसी भी व्यक्ति को उसके लिंग के आधार पर उच्च या निम्न श्रेणी में नहीं रखना है वर्तमान परिपेक्ष्य में महिलाओं को सशक्त करना आवश्यक है ताकि लैंगिंक समानता को सारे विश्व में लाया जा सके। वर्तमान में महिलाएं पुरूषों की तुलना में ज्यादा शिक्षा प्राप्त कर रही है, साथ ही शारीरिक श्रम जैसे कार्यों में उनकी सहभागिता भी बढ़ रही हैं लेकिन फिर भी उनके कार्यों के अनुरूप उन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है। लैंगिक समानता के लिए प्रयास सिर्फ महिलाओं द्वारा ही नहीं किए जाए बल्कि पुरूष भी इसकी महत्ता को समझे एवं इसे दूर करने का प्रयास करें। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 'बेटी बचाओं बेटी पढाओं' योजना शुरू की गई जिसका लक्ष्य भारत में सभी बेटियों को समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है एवं बेटियों के अस्तित्व की सुरक्षा करना है। 'बेटी बचाओं बेटी पढाओं' योजना के अर्न्तगत सुकन्या समृद्धि योजना भी षुरू की गई हैं जिसमें बालिका की शिक्षा एवं विवाह के लिए माता–पिता की वित्तीय मदद की जा सके। जननी सुरक्षा योजना माताओं के लिए प्रारम्भ की गई हैं जिससे शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाई जा सके।

लैगिंक समानता में कमी हमारे सतत् विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बडी बाधा हैं। लैगिंक समानता सिर्फ अर्थ यानि की धन, कार्य में भागीदारी, पुरूषों की स्त्रियों के प्रति असंवेदनशीलता से सम्बन्धित नहीं हैं बल्कि आज भी लोग ऐसी परम्पराओं का पालन करते हैं जो स्त्री विरोधी हैं एवं स्त्रियों को उनके अधिकार एवं कर्त्तव्यों से वंचित करती हैं।

लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा '' बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं'' योजना एवं वर्किंग वुमन हॉस्टल योजना शुरू की गई हैं।

बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं

बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरूआत की गई। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों के गिरते लिंगाानुपात के प्रति लोगों को जागरूक करना, लिंग के आधार पर लड़का और लड़की में होने वाले भेदभाव को रोकना तथा प्रत्येक बालिका की सूरक्षा, शिक्षा व समाज मे स्वीकृति सुनिश्चित करना है।

वर्किंग वुमन हॉस्टल योजना

आज के युग में महिलाएं रोजगार की तलाष में अपना घर छोड़कर दूसरे शहरों की तरफ रूख कर रही हैं। इन महिलाओं को सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाने, उनके बच्चों की देखभाल की सुविधा और जरूरत की वस्तुओं की आसान उपलब्धता की ध्यान में रखते हुए वर्किंग वुमन हॉस्टल योजना शुरू की गई हैं। जिन क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध है, उन सभी क्षेत्रों में महिलाओं को यह सुविधा दी गई हैं। कामकाजी महिलाओं के साथ–साथ नौकरी के प्रशिक्षण के लिए अपने घर से दूर रहने वाली महिलाओं को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। इसके अन्तर्गत हॉस्टल में रहने वाली महिलाओं के साथ 18 वर्ष तक की बेटी एवं 5 वर्ष तक के बेटे को उनके साथ हॉस्टल में रहने की अनुमति दी जाएगी।

महिलाओं की आय के स्त्रोत उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार ने महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (Step) एवं महिला ई हाट योजना प्रारम्भ की है जिससे वे सक्षम व आत्मनिर्भर बन सकें। इस योजना का उद्देश्य 16 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की लड़कियों/महिलाओं का कौशल विकास करना ताकि वे स्वयं का उद्योग खोल कर आत्मनिर्भर बन सके। महिलाओं में अगर स्वंय का कोई हुनर है तो वे घर पर रह कर भी महिला ई हाट योजना का लाभ ले सकती हैं।

महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा स्वाधार गृह योजना एवं महिला शक्ति केन्द्र योजना शुरू की गई है स्वाधार गृह योजना में महिलाओं को भोजन और आश्रय कानूनी परामर्श चिकित्सा सुविधाएँ और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी सुविधाएँ प्रदान की जाती है। महिला शक्ति केन्द्र योजना का उद्देश्य समाज से लिंग भेद खत्म करना और लिंगानुपात को संतुलित करना है।

निष्कर्ष

वर्तमान में सरकार का भी ध्यान लैंगिक असमानता पर केन्द्रित हो रहा है। इसलिए सरकार द्वारा भी कई प्रकार की योजनाऐं शुरू की जा रही हैं जिससे समाज में व्याप्त इस असमानता को दूर किया जा सके। अन्त में लैंगिक समानता में कमी सतत् विकास को प्राप्त करने में बहुत बढ़ी बाधा हैं। यदि महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया एवं उत्पादकता में शामिल किया जायेगा तो हम बहुत तेजी से आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

Candice Stevens:Are women the key to sustainable development.
Rachel Emas.(Florida International University): The Concept of sustainable development Defination, DefiningAnd Principal.
Surendra Kumar Pathania:- Sustainable Development Goal – gender equality for women's empowerment And human rights (International journal of Research Granthalayah.
United Nations in India: Sustainable development goals SDG-5 gender equality.
United Nations & International Women's Day – Gender equality & sustainable development.
UN Women- Gender equality & sustainable development.
UN Women – Gender equality & sustainable development.